

## 28 अग्रिम आयकर का भुगतान एवं ब्याज की गणना

### Payment of Advance Tax & Calculation of Interest

इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार सभी करदाताओं को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही, उस वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली आय का अनुमान लगाना आवश्यक है। तथा इस अनुमानित आय पर निर्धारित दरों से (सभी कटौतियों एवं छूटों को ध्यान में रखते हुए), आयकर की गणना किया जाना आवश्यक है। अनुमानित आयकर की राशि यदि वर्ष 2014-15 में 10,000 से अधिक है, तो निम्न तालिका के अनुसार, किशतों में, आयकर जमा करना चाहिए। इस प्रकार जिस वर्ष आय अर्जित हुई हो, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च तक जमा किए गए कर, अग्रिम कर कहलाते हैं।

| अग्रिम कर भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान नियत तिथि | आंकलित कुल अग्रिम कर की किशतें (प्रतिशत में)       |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                         | सभी करदाता A को छोड़कर                             | A = अनुमानित आय योजना के तहत आने वाला करदाता |
| 15 जून                                                  | 15 %                                               |                                              |
| 15 सितंबर                                               | 30 % (अर्थात् कुल 45 %)                            |                                              |
| 15 दिसंबर                                               | 30 % (अर्थात् कुल 75 %)                            |                                              |
| 15 मार्च                                                | 25 % (अर्थात् कुल 100 %)                           | 100 %                                        |
| 31 मार्च                                                | ऐसी आय पर देय कर, जो 15 मार्च के बाद अर्जित हुई हो |                                              |

- ☞ अग्रिम कर की किशतें ट्रेजरी, आर.बी.आई. या राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य निर्धारित बैंक में चालान नंबर 280 के साथ जमा करनी चाहिए। एस.बी.आई. में इंटरनेट से आनलाईन आयकर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।
- ☞ अग्रिम कर के भुगतान करने में चूक करने या कम भुगतान (निर्धारित कर के 50 प्रतिशत से कम) करने पर, धारा 234B तथा 234C के तहत ब्याज के प्रावधान हैं। सामान्यतः ब्याज, कर देय तिथि से, भुगतान दिनांक के बीच की अवधि के लिए 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय होता है।
- ☞ वेतनभोगी कर्मचारी को, प्रायः अग्रिम कर नहीं जमा करना होता है, क्योंकि नियोक्ता द्वारा अनुमानित शुद्ध भुगतान योग्य आयकर 1/12 भाग, स्रोत पर कटौती (TDS) के रूप में, मासिक रूप से आयकर विभाग में कर्मचारी के नाम से, जमा किया जाता है, परंतु जिनकी वेतन शीर्ष के अलावा अन्य शीर्ष से आय हो, तो वे कर्मचारी अग्रिम कर जमा करने के उत्तरदायी हो सकते हैं।

### अग्रिम कर के कम या ज्यादा भुगतान होने पर ब्याज की गणना

- ☞ कम अग्रिम कर जमा करने पर देय ब्याज की दर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर साधारण ब्याज की गणना निम्न शर्तों के आधार पर की जायेगी
  - अ. कम भुगतान किये गये कर की राशि, कुल देय कर के 10 प्रतिशत से अधिक हो।
  - ब. कम जमा की गई राशि के 100 रु. के किसी हिस्से हो नजर अंदाज कर ब्याज की गणना की जाती है, जैसे कम जमा की गई राशि 1234 रु. है तो ब्याज की गणना के लिए इसे 1200 रु. माना जायेगा।
  - स. यदि अग्रिम कर की किशतों के भुगतान में कमी, पूंजी लाभ या लाटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से होने वाली आय के सही अंदाज नहीं लगा पाने के कारण हुई है तो ऐसे कम भुगतान की राशि पर ब्याज नहीं लगेगा।
- ☞ यदि अग्रिम कर के रूप में, निर्धारित कर के 10 प्रतिशत से अधिक राशि, जमा कर दी गई हो, तो 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से (दिनांक 08.09.2003 से प्रभावशील) ब्याज, कर निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन (1 अप्रैल) से लेकर, वापसी की स्वीकृति की दिनांक, तक आयकर विभाग द्वारा देय होंगे।
- ☞ विशेष परिस्थितियों में दण्डात्मक ब्याज को कम करने या माफ करने के लिए मुख्य आयुक्त और महानिदेशकों को

## 62 | उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

### ब्याज की गणना कैसे करें ?

यदि अग्रिम कर की किश्तों का कम भुगतान हो तो – कम जमा की गई राशि पर, वित्तीय वर्ष के अन्त (31 मार्च) तक की, अवधि (त्रैमासिकी के लिए 3 माह या मार्च के लिए 1 माह) के लिए 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होंगे [धारा 234(C)]

☞ यदि कुल भुगतान किया गया आयकर (अग्रिम कर या टी.डी.एस. के रूप में), निर्धारित आयकर से कम हो, तो कम जमा राशि पर, निर्धारण वर्ष के प्रथम दिनांक 1 अप्रैल से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होंगे। [धारा 234B]

**उदाहरण:** मिस्टर एक्स ने गतवर्ष 2012-13 के लिए रु. 10,000 आयकर का अनुमान लगाकर क्रमशः 15 सितम्बर तक रु.3,000, 15 दिसम्बर तक रु. 3,000 एवं मार्च से पूर्व रु. 4,000 के रूप में 3 किश्तों में, अग्रिम कर का भुगतान किया, परन्तु 10 जुलाई 13 में रिटर्न बनाने पर उनकी कर देयता बढ़कर रु.15,000 हो गई, तो 10 जुलाई को को शेष कुल भुगतान योग्य कर ब्याज सहित की गणना करें।

**हल:**

- अ) कम जमा किया गया शेष आयकर = कुल देय आयकर – भुगतान किया गया कर (धारा 140A के तहत)
- $$5,000 = 15,000 - 10,000$$
- ब) अग्रिम कर कम जमा होने के कारण ब्याज की गणना (धारा 234C के तहत)

| अग्रिम कर की नियत दिनांक | अग्रिम कर के रूप में देय राशि | वास्तविक भुगतान की गई राशि | कम जमा की गई राशि | प्रतिमाह की दर से ब्याज    |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 15.सितम्बर तक            | 15,000 का 30% = 4,500         | 3,000                      | 1,500             | 1,500 X 1% x 3 माह = 45 रु |
| 15.दिसम्बर तक            | 15,000 का 60% = 9,000         | 6,000                      | 3,000             | 3,000 X 1% x 3 माह = 90 रु |
| 15.मार्च तक              | 15,000 का 100% = 15,000       | 10,000                     | 5,000             | 5,000 X 1% x 1 माह = 50 रु |
| कुल                      |                               |                            | 5,000             | 185 रु .                   |

- स) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित आयकर का भुगतान नहीं होने के कारण देय ब्याज (धारा 234B के तहत) वास्तविक भुगतान की अनुमानित तिथि – 10 जुलाई 2013

इसलिये ब्याज = कम जमा की गई राशि X 1 अप्रैल 2013 से 10 जुलाई 13 अवधि X 1 %

$$= \text{रु. } 5,000 \times 4 \text{ माह} \times 1\% = \text{रु. } 200$$

- छ) 10 जुलाई 2013 को कुल भुगतान योग्य कर = शेष आयकर + ब्याज (धारा 234C + धारा 234B के तहत)
- $$5,385 = 5,000 + (185 + 200)$$

**सभी राज्यों एवं जिलों में वितरक नियुक्त करना है, शीघ्र संपर्क करें :**

यह पुस्तक हिन्दी, व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

पता – ए.बी.सी. पब्लिकेशन,

प्रकाश फआका के सामने बिजली ऑफिस रोड, फूल चौक, रायपुर (छ.ग.)

Mobile : 0 7771 83 7771

visit us – [www.abcpublishing.in](http://www.abcpublishing.in), e-mail-contact @abcpublishing.in



[www.abcpublishing.in](http://www.abcpublishing.in) \_\_\_\_\_